न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 34/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 9.3.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

कान्हा उर्फ काना आत्मज प्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0) जरिये मुख्तार आम अर्जुन गुजंल पुत्र कान्हा जाति गूर्जर निवासी बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जाडपुरा जिला कोटा राज0 ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विजय सिंघल अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 30.4.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 94/2013 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान कान्हा उर्फ काना बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा मे पारित निर्णय दिनांक 17.3.2020 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि ग्राम बोराबास की आराजी ख0 नं0 496/653 रकबा 0.25 है0 को न्यायालय तहसीलदार भू अभिलेख लाडपुरा के प्रकरण संख्या राजस्व/2010/21 दिनांक 13.11.2010 की अनुपालना मे नामान्तरकरण सं0 224 दिनांक 10.12.2010 से अपीलार्थी की खातेदारी मे दर्ज की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त नामा0 सं0 224 दिनांक 10.12.2010 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी अन्य खातेदार की गैर खातेदारी की आराजी मे खातेदारी अधिकार दिये जाने से संबधित पत्रावली के आधार पर निरस्त किये जाने के अदेश कमांक/भू.आ./10/प्र.गा.सं.अ./7 दिनांक 29.12.10 से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के यहां पेश की गई जिसे निर्णय दिनांक 17.3.2020 से पर्याप्त एंव ठोस आधार प्रस्तुत नही किये जाने से अस्वीकार कर खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि आराजी को नायब तहसीलदार मण्डाना की रिपोर्ट के आधार पर पैराफेरी क्षेत्र मे मानकर नामा0 को विड्रो किये जाने का आदेश पारित किया है जबकि अपीलांट की आराजी पेराफेरी क्षेत्र मे नही आती है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पटवारी बोराबास एंव आई एल आर मण्डाना की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे ऐसी स्थिति मे तहसीलदार लाडपुरा को अपने ही आदेश को विड्रो करने व नामान्तरकरण को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नही है। अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा वादग्रस्त आराजी पेराफेरी क्षेत्र मे नही होने के बावजूद अपील स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पेश नही करने का उल्लेख करते हुये फोरी तौर से अपील खारिज करने मे त्रुटि की है इसलिए निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय काबिल निरस्तनीय है। गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार स्वीकृत किये जाने के आदेश के अन्तर्गत खोले गये नामान्तरकरण को स्वविवेक से पारित विड्रो आदेश के आधार पर नामा0 सं0 224 को निरस्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। आदेश दिनांक 29.12.2010 अवैध व प्रभावशून्य एंव कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय काबिल

अति. सं. आयुक्त

निरस्तनीय है। जिला कलक्टर कोटा ने मेमो आफ अपील मे वर्णित आधारो का कोई विवेचन नही कर नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया है। कोविड–19 के दौरान लॉकडाउन होने तथा सामान्य आवाजाही होने पर जानकारी करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी 2.7.2020 को होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अपील पेश करने मे हुई देरी क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 17.3.20 एंव 29.12.2010 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त आराजी तहसीलदार लाडपुरा के प्रकरण संख्या राजस्व/2010/21 दिनांक 13.11.2010 की अनुपालना मे नामान्तरकरण सं0 224 दिनांक 10.12.2010 से अपीलार्थी की खातेदारी मे दर्ज की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त नामान्तरकरण सं0 224 अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमाने तरीके से किसी अन्य खातेदार की गैरखातेदारी की आराजी मे खातेदारी अधिकार दिये जाने से संबधित पत्रावली के आधार पर अपीलांट का उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने का गलत तौर पर आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। बहस मे आगे जाहिर किया कि ग्राम बोराबास की आराजी को नायब तहसीलदार मण्डाना की रिपोर्ट के आधार पर पेराफेरी क्षेत्र मे मानकर नामान्तरकरण आदेश विड्रो किये जाने के आदेश पारित किये है जबकि अपीलांट की आराजी पैराफेरी क्षैत्र मे नही आती है तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.11.2010 को पटवारी हल्का बोराबास व भू अभिलेख निरीक्षक मण्डाना की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे ऐसी स्थिति मे स्वयं तहसीलदार को आदेश विड्रो करने व नामा0 को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नही है। तहसीलदार का आदेश क्षैत्राधिकार से परे है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण नही किया तथा मेमो ऑफ अपील मे वर्णित आधारो का कोई विवेचन नही कर नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जावे।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा सहज न्याय के दृष्टिगत अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदेश राजस्व/2010/21 दिनांक 13.11.2010 से ग्राम बोराबास स्थित आराजी ख0 नं0 496/613 रकबा 0.25 है0 भूमि गैर खातेदार श्री कान्हा पुत्र प्रताप गुर्जर के नाम खातेदारी अधिकार प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प बोराबास मे जारी किये थें, चूंकि अभियान के दौरान जल्दबाजी मे उक्त ग्राम बोराबास पेराफेरी एरिया मे होने की जानकारी नही से तथा बाद मे उक्त भूमि पैराफेरी क्षेत्र मे होने की जानकारी होने पर आदेश दिनांक 13.11.2010 को अपने आदेश कमांक/भूअ0/10/प्र.गा.स.अ./7 दिनांक 29.12.2010 से विड्रो किया गया। अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट की आराजी पेराफेरी क्षैत्र मे नही आती है, पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलार्थी को खातेदारी

अधिकार प्रदान किये गये थे अतः स्वयं तहसीलदार को अपने आदेश को विड्रो करने व नामा0 को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नही होने से तह0 का आदेश क्षैत्राधिकार से परे है जिला कलक्टर कोटा ने मेमो ऑफ अपील मे वर्णित आधारो का कोई विवेचन नही कर जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने तर्को के संबध मे हस्तगत अपील प्रकरण मे ऐसे कोई आधार अभिलेख, साक्ष्य सबूत पेश नही किये है जिससे वादग्रस्त आराजी पैराफेरी क्षेत्र मे नही आती हो। ऐसी स्थिति मे वकील अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पैराफेरी क्षेत्र की नही होने संबधी तर्क आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नही है। चूंकि ग्राम बोराबास पैराफेरी क्षेत्र मे आने की जानकारी होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदेश दिनांक 13.11.2010 अपने आदेश क्रमांक/भूअ0/10/प्र.गा.स.अ./7 दिनांक 29.12.2010 से विड्रो किया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर वकील अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार करने पर्याप्त व ठोस आधार प्रस्तुत नही होने से अपील अस्वीकार कर दिनांक 17.3.2020 को खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 17.3.2020 मे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती

7 निर्णय आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा